

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

कमांक: एफ28 (5)परावि/प्रशा.2/अति.सहा.वि.अ.प्र.प्र.अ./स्था.पद./2024-(22519)/ जयपुर, दिनांक:

:: संशोधन आदेश ::

विभागीय आदेश दिनांक 20.02.2024 में क्र.सं. 90 के विशेष विवरण के कॉलम में "श्री बाबूलाल मीणा" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल मीणा" एवं क्र.सं. 91 पर नाम सर्वश्री कॉलम में "बाबूलाल मीणा" के स्थान पर "बनवारी लाल मीणा" पढ़ा जावे।  
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेखा सामरिया)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
शासन उप सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी अशा. टीप कमांक 1415 दिनांक 05.03.2024 एवं 1634 दिनांक 11.03.2024 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोंद/लक्ष्मणगढ़ (सीकर)।
7. आदेश में वर्णित संबंधित कर्मचारी।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
शासन उप सचिव-II

Signature valid

RajKaj Ref  
6166271



Digitally signed by Rekha Samaria  
Designation: Additional  
Commissioner  
Date: 2024.03.15 17:50:47 IST  
Reason: Approved